

ई-अन्नदाता ई-टेंडर प्रक्रिया

संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

वित्तीय वर्ष 2026-27 की विश्व की पहली किसान केन्द्रित पहल (विजन 2047 तक) विकसित किसान का संकल्प के तहत संचालित ई-अन्नदाता नीति विषयक आदेश संख्या eAnna/2603/584 दिनांक 14.03.2026 अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसानों को विकसित करने के उद्देश्य से उनके लिए संचालित योजनाओं को किसानों तक सुचारु रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, तहसील स्तर पर सब-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तथा ब्लॉक स्तर पर कार्य करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा स्तर में केयर सेंटर (एनरोलमेंट एजेंसी) का व्यवस्थापन दिनांक 15.03.2026 से प्रारंभ होगा। जिसका आवेदन दिनांक 15.03.2026 (समय मध्याह्न 12:00 बजे) से दिनांक 25.03.2026 (समय सायं 6:00 बजे) तक ऑफिसियल वेबसाइट www.eAnnadata.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं ऑनलाइन के पश्चात् व्यवस्थापन की लॉटरी के माध्यम से दिनांक 26.03.2026 को किया जाएगा।

उक्त कार्यक्रम के लिए इच्छुक एवं अर्ह आवेदन आवश्यक विवरण व शर्तों के साथ ऑनलाइन जमा करें। उनकी धरोहर राशि व आवश्यक दस्तावेज भी जमा करना अनिवार्य होगा। सभी निविदा की धरोहर राशि नियम और शर्तों को पालन करते हुए कार्य करने वालों की 100% बिना ब्याज की वापस की जाएगी।



(परियोजना निदेशक)
ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड
डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त अध्यक्ष/डायरेक्टर स्टेट रजिस्ट्रार।
2. समस्त अध्यक्ष/निदेशक जिला रजिस्ट्रार।
3. समस्त ई-अन्नदाता शाखा।
4. संपादक, दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम साइज (13से०मी०* 13से०मी०) में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।



(परियोजना निदेशक)
ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड
डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड



1. प्रस्तावना

1. ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य किसानों एवं उनके परिवारों को डिजिटल सेवाओं, पंजीकरण सुविधाओं तथा विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है।
2. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देशभर में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, तहसील स्तर पर सब-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार व ब्लॉक स्तर पर केयर सेंटर (एनरोलमेंट एजेंसी) स्थापित किए जा रहे हैं।
3. सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं विस्तार हेतु जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर एक संरचित प्रणाली लागू की गई है।
4. संबंधित निविदाओं के चयन के लिए ई-अन्नदाता द्वारा ई-टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है।

2. ई-टेंडर आवेदन प्रक्रिया

5. इच्छुक व्यक्ति या संस्था/उद्यमी निर्धारित निविदाओं के लिए ई-टेंडर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
6. ई-टेंडर केवल ई-अन्नदाता की अधिकृत वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
7. आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
8. सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. ई-अन्नदाता द्वारा सभी दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।
10. केवल आवेदन करने मात्र से चयन सुनिश्चित नहीं होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदकों को सभी प्रमाण-पत्रों, योग्यता व पात्रता का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन संतोषजनक पाए जाने पर ही आवेदन स्वीकृत किया जाएगा तथा तभी उन्हें कार्य करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।
11. अंतिम चयन का अधिकार ई-अन्नदाता के प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।

3. जिला स्तर-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार

12. जिला स्तर पर चयनित व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा।
13. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अपने जिले में ई-अन्नदाता केयर सेंटर की स्थापना एवं संचालन की निगरानी करेगा।
14. जिले के सभी ब्लॉकों एवं ग्राम सभाओं के अनुसार केयर सेंटर का प्रबंधन करेगा तथा जिस ग्रामसभा में केयर सेंटर उपलब्ध नहीं हों वहाँ केयर सेंटर की स्थापना करेगा।
15. सभी केयर सेंटरों के कार्यों की समीक्षा करेगा।
16. जिले की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर मुख्य कार्यालय को भेजेगा।
17. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा तथा उनके उत्तम कार्य के आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा।

4. तहसील स्तर- सब-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार

18. तहसील स्तर पर चयनित व्यक्ति सब-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा।
19. अपने क्षेत्र में केयर सेंटरों का संचालन एवं समन्वय करेगा।
20. ग्राम पंचायतों के अनुसार नए केयर सेंटर स्थापित करवाएगा।
21. क्षेत्र में संचालित केयर सेंटरों की निगरानी करेगा।
22. ई-अन्नदाता की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

5. ब्लॉक/ग्राम स्तर- ई-अन्नदाता केयर सेंटर

23. ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर ई-अन्नदाता केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

24. केयर सेंटर किसानों को पंजीकरण, डिजिटल सेवाएं, प्रशिक्षण कराना तथा अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे।
25. केयर सेंटर ई-अन्नदाता द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित होंगे।
26. सभी सेवाओं का रिकॉर्ड ई-अन्नदाता के डिजिटल पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा।

6. कार्य एवं लक्ष्य

27. किसानों एवं उनके परिवारों को ई-अन्नदाता कार्ड एवं डिजिटल सेवाओं से जोड़ना मुख्य उद्देश्य होगा।
28. प्रत्येक किसान परिवार के सदस्यों का पंजीकरण किया जाएगा।
29. ई-अन्नदाता कार्ड, डिपेंडेंट ऑथराइज्ड कार्ड एवं अन्नदाता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान परिवार के सदस्य के पंजीकरण पर प्रति व्यक्ति ₹77 का सेवा शुल्क प्रदान किया जाएगा।
30. एक केयर सेंटर का लक्ष्य अपने क्षेत्र में न्यूनतम 5000 किसानों तक पहुंच बनाना होगा।
31. सभी पंजीकरण एवं सेवाओं का डेटा ई-अन्नदाता के पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

7. भुगतान एवं वित्तीय शर्तें

32. आवेदक का ई-अन्नदाता द्वारा चयन न होने की स्थिति में आवेदन शुल्क पूर्ण राशि (जी.एस.टी. एवं लेनदेन शुल्क छोड़कर) वापस कर दिया जाएगा।
33. सभी भुगतान केवल ई-अन्नदाता के अधिकृत बैंक खाते या डिजिटल माध्यम से ही मान्य होंगे।
34. धरोहर राशि की वापसी DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से की जाएगी।
35. किसी भी प्रकार का नगद लेनदेन मान्य नहीं होगा।
36. जिला एवं तहसील स्तर के रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र में केयर सेंटर हेतु कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते हैं।

8. धरोहर राशि (Security Money) वापसी नियम

37. जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-अन्नदाता के पास सुरक्षा राशि के रूप में सुरक्षित रहेगी।
38. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार (वित्तीय वर्ष 2026-27) अपने जिले में अधिकतम ग्राम सभा के बराबर ही केंद्र (बिना धरोहर राशि का) निःशुल्क स्थापित कर सकते हैं तथा केवल 100 केंद्र भी स्थापित कर देने पर अथवा केवल बीस हजार किसानों का सत्यापित कार्ड होने पर भी धरोहर राशि वापस पाने के पात्र होंगे।
39. सब-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार (वित्तीय वर्ष 2026-27) अपने तहसील में अधिकतम ग्राम सभा के बराबर ही केंद्र निःशुल्क (बिना धरोहर राशि का) स्थापित कर सकते हैं तथा केवल 50 केंद्र भी स्थापित कर देने पर अथवा केवल दस हजार किसानों का सत्यापित कार्ड होने पर भी धरोहर राशि वापस पाने के पात्र होंगे।
40. सभी स्थापित केयर सेंटरों का पंजीकरण ई-अन्नदाता के पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य होगा।
41. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ई-अन्नदाता द्वारा कार्य का सत्यापन किया जाएगा।
42. ई-अन्नदाता द्वारा चयन होने के पश्चात् आवेदन शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा तथा यदि निर्धारित कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो भी ई-अन्नदाता को धरोहर राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त करने का अधिकार होगा।

9. केयर सेंटर धरोहर राशि वापसी

43. केयर सेंटर संचालक द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-अन्नदाता के पास सुरक्षा राशि के रूप में सुरक्षित रहेगी।
44. केयर सेंटर की धरोहर राशि सब्सिडी के माध्यम से शत-प्रतिशत (40 प्रतिशत + 20 प्रतिशत + 40 प्रतिशत) क्रम में उपलब्ध करा दी जाएगी। पंजीकरण का पूरा रिकॉर्ड ई-अन्नदाता के डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध होना आवश्यक है तथा उनकी सब्सिडी 40 प्रतिशत सत्यापन के पश्चात् तथा 20 प्रतिशत + 40 प्रतिशत नियमानुसार उपलब्ध होगी।
45. सत्यापन के पश्चात् ई-अन्नदाता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धरोहर राशि वापस की जाएगी।

10. सामान्य शर्तें

46. केवल ई-अन्नदाता ई-टेंडर भरने से चयन सुनिश्चित नहीं होगा।
47. ई-अन्नदाता को किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
48. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
49. ई-अन्नदाता को समय-समय पर नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
50. किसी भी विवाद की स्थिति में ई-अन्नदाता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
51. निर्धारित आवेदन तिथि के पश्चात् सभी आवेदन बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
52. द्वितीय चरण की निविदा 3 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी जिसकी धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 पूर्वाह्न 8:00 बजे से 10 अप्रैल 2026 अपराह्न 06:00 बजे तक होगी।
53. धरोहर राशि जमा करने के पश्चात् दिए हुए आवश्यक दस्तावेज भारतीय डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् उन्हें कार्य के लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी।
54. कार्य का सम्पूर्ण भुगतान निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जाएगा।
55. स्मार्ट फार्मिंग ट्रेनिंग, डिजिटल फार्मिंग एवं ड्रोन ट्रेनिंग का भुगतान सरकार के नियमानुसार ही किया जाएगा क्योंकि यह निविदा का अतिरिक्त कार्य है।
56. सभी योजनाओं के संचालन हेतु संबंधित योजना का मानक सरकार के दिशा निर्देश को पूर्ण करने वाले को ही दिया जाएगा क्योंकि यह निविदा से अतिरिक्त कार्य है।
57. किसी रजिस्ट्रार अथवा केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का भुगतान उनके कार्य अनुसार योजना व सरकार के नियमानुसार निविदा के अतिरिक्त किया जाएगा।
58. सुचारू व अच्छे से कार्य करने वाले रजिस्ट्रार व केंद्र का लाभ दी हुई निविदा के अतिरिक्त लाभ योजनावार होगा।

(परियोजना निदेशक)
ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड
डेलवपमेंट इंडिया लिमिटेड